

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक - ता० कौमल तुरी नगों से कारखाने सरकार तक

अंचल - बालूमाथ, जिला - लातेहार वाद सं०- 23 / 2023

केस का प्रकार- अविहक / लहेहायत अमींदी रददीकरण

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
80.05.2023	अविहक कौमल तुरी पिन हरद्वार तुरी ग्राम - नगड़ा थाना - बालूमाथ जिला - लातेहार के द्वारा अविहक प्राप्त है। अविहक पत्र मीजां - नगड़ा के C.S. खाना स. 143 ब्लॉक स. 906, 849, 804, कुल रकबा 12.33 रु. एवं हाल सर्वे खाना स. 200 ब्लॉक स. 1704, 1561 1562 कुल रकबा 12.33 रु. भूमि से संबंधित है। अविहक का कहना है कि उपरोक्त भूमि मेरे दादी गुंजरी देवी पति जीवन तुरी के तत्कालीन अमींदार लाल विष्णुनाथ शाहदेव के द्वारा बुकुमनाभा के वर्ष 1942 से प्राप्त है। अमींदारी उन्मूलन के पश्चात वर्ष 2013-14 तक अविहक के दादी के नाम अंचल अधीनस्थ बालूमाथ	

आदेश की
क्र०सं० और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश
गई व
बारे में
तारीख

1

2

से आफ लार्डिंग लक्षण रसिद मिली है। अविदक
हाल सर्व खाता सं० 200 लोन संख्या
1704, 1561, 1562 कुल रकमों 1233 रु०
G.M मूक्ति का लक्षण रसिद मिली कर्न का
अनुशील किया गया है।

अविदक हाल दो नं० का० अधि०
की संख्या 47 अन्वेषण राजस्व का सं० 914/90
में हरेकाल वृत्ति पिना श्रीवंग वृत्ति व नाम नरसिंह
खतिवान की प्रति संलग्न किया गया है।

अविदक हाल उपलब्ध किये गये सूची
संख्या के अवलोकन से प्रथम दृष्टा अभावदी
अर्थ / संदेहस्पंद प्रतीत होती है। अतः
BLRA 1950 की धारा 4 (H) के तहत अन्वेषण
की कारवाई प्रारम्भ की जाती है। उभयपक्ष
को नोटिस निर्दिष्ट करें। अधिकारी दिनांक
3.6.27 को उपस्थित करें।

अध्यक्ष अधिवक्ता

आदेश

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर दायरे में टिप्पणी
1	2	3
14-10-2023	अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पक्ष उपस्थित । द्वितीय पक्ष अनुपस्थित । वाद की सुनवाई नहीं हो सकी । अभिलेख दिनांक 30.11.2023 के उपस्थापित करें । अंशुल श्रीवास्तव आयुक्त	
30.11.2023	अभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष अनुपस्थित । पदाधिकारी ने उभय पक्षों के बीच में जाकर रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी । अभिलेख दिनांक 12.12.2023 के उपस्थापित करें । अंशुल श्रीवास्तव आयुक्त	
12.12.2023	अभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष अनुपस्थित । उभय पक्ष के नेतृत्व निर्दिष्ट करें । अभिलेख दिनांक 19-01-2024 के उपस्थापित करें । अंशुल श्रीवास्तव आयुक्त	

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई व रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
9.01.2024	अभिलेख उपस्थापित । समय पका अनुपस्थित । समय पका के अन्तिम लेख निकाल कर । अभिलेख दिनांक 20.02.2024 को उपस्थापित कर । अंशल अग्रवाल वालुनाथ	11/24
10.02.2024	अभिलेख उपस्थापित । समय पका अनुपस्थित । समय पका के अन्तिम लेख निकाल कर के अन्तिम लेख निकाल कर । अंशल अग्रवाल वालुनाथ	26/24